

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-10)विभाग

क्रमांक: प018(3)गृह-10/16

दिनांक 17.09.2018

आदेश

निम्नलिखित सहायक निदेशक अभियोजन के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारण से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र0सं0	नाम सनिअ	कहाँ से	कहाँ को	वि0वि0
1.	श्री विजय सिंह	सनिअ, अलवर	अपर लोक अभियोजक, लक्ष्मणगढ जिला अलवर	श्री शर्मा के स्थान पर
2.	श्री कमल कुमार शर्मा	अपर लोक अभियोजक, लक्ष्मणगढ जिला अलवर	सनिअ, अलवर	श्री सिंह के स्थान पर

क्र.सं. 2 स्थानान्तरण स्वेच्छिक है। नियमानुसार इन्हें यात्रा भता एवं अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा।

(रमेश कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।
4. शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. निदेशक अभियोजन को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. निजी पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह